दक्षिण रेलवे/SOUTHERN RAILWAY

No.P(R)473/P/FP/Vol.VI

प्रधानकार्यालय/ Headquarters Office
कार्मिक शाखा/ Personnel Branch
चेन्नै/Chennai - 600 003
दि./ Dated: 08-04-2015

आर बी ई सं/RBE No. 28 / 2015 **पी बी सी सं/ PBC No:37 / 2015**

All PHODs / DRMs / CWMs / CEWE / CAO / CPM / Dy.CPOs / Sr.DPOs / DPOs / SPOs / WPOs / APOs of HQ / Divisions / Workshops / other Units, etc.,

(As per mailing list –'A')

विषय/Sub: Incentives to the staff and officers posted on USBRL Project and identified "difficult project" of N.F. Railway (Const.) – Air travel facility.

******

A copy of Railway Board's letter No.E(G)2014/AL-12-5 dated 25-03-2015 (RBE No. 28 / 2015) is enclosed for information, guidance and necessary action.

(V.SRINIVASAN)
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/नियम
Senior Personnel Officer/Rules
कृते मुख्य कार्मिक अधिकारी
For Chief Personnel Officer

संलग्न/Encl: as above

प्रतिलिपि/Copy to : The Genl Secy / SRMU
The Genl Secy / AISCSTREA
The Genl Secy / AIOBCREA

The Genl Secy / NFIR

RBE No. 28

GOVERNMENT OF INDIA भारत सरकार
MINISTRY OF RAILWAYS रेल मंत्रालय
RAILWAY BOARD रेलवे बोर्ड

Rail Bhawan, dated 25 /03/2015

No.E(G)2014/ AL 12-5

The General Manager (P),
N.F. Railway (Const.)
Maligaon,
Guwahati.

The CAO
USBRL Project
Northern Railway,
Jammu Tawi - 180012
Jammu and Kashmir

महाप्रबंधक का कार्यालय
GENERAL MANAGER'S OFFICE
30 MAR 2015
दक्षिण रेलवे/Southern Railway
चेन्नै/Chennai-600 003

Sub: Incentives to the staff and officers posted on USBRL Project and identified "difficult project" of N.F. Railway (Const.) - Air travel facility.

A proposal for providing incentives to the staff/officers posted on the USBRL Project and identified "difficult project" of N.F. Railway (Const.) has been under consideration of the Board for sometime, and it has been decided as under:-

2. Incentive in the form of air travel facility as detailed below may be allowed to the officers posted on the USBRL Project and identified "difficult project" of N.F. Railway (Const.).

N.F. Railway (Const.)	USBRL
While on leave (all types including C.L.), free air travel with family (as per pass rules) twice a year, including one journey already available from place of posting to the nearest airport, to the employee's home town / family station and back, in lieu of one set of privilege passes each time, if posted on "Difficult Projects" of N.F. Railway.	While on leave (all types including C.L.), free air travel with family (as per pass rules) twice a year, from Jammu/Srinagar to the nearest airport to the employee's home town / family station and back, in lieu of one set of privilege passes each time.

3. The above incentives will be limited to the project construction phase and will be applicable to all the officers related with these projects except those who are posted at Maligaon/Guwahati.

4. This issues with the concurrence of the Finance Dte. of Ministry of Railways.

(D. Joseph)
Dy. Director Estt. (Genl.)
Railway Board

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे बोर्ड

RBE No. 28

सं. ई(जी)2014/एएल 12-5 नई दिल्ली, दिनांक 25.03.2015

महाप्रबंधक (कार्मिक),
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे (निर्माण),
परियोजना,
मालीगांव,
गुवाहाटी.

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,
यूएसबीआरएल

उत्तर रेलवे,
जम्मू तवी-180012
जम्मू एवं कश्मीर.

विषय - यूएसबीआरएल परियोजना और पूर्वोत्तर सीमा रेलवे (निर्माण) के "कठिन परियोजना" के रूप में चिह्नित परियोजना में तैनात कर्मचारियों और अधिकारियों को हवाई यात्रा सुविधा का प्रोत्साहन।

यूएसबीआरएल परियोजना और पूर्वोत्तर सीमा रेलवे (निर्माण) के "कठिन परियोजना" के रूप में चिह्नित परियोजना में तैनात कर्मचारियों और अधिकारियों को प्रोत्साहन देने के प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा कुछ समय से विचार किया जा रहा था और इस संबंध में अब निम्नानुसार निर्णय लिया गया है:-

2. यूएसबीआरएल परियोजना और पूर्वोत्तर सीमा रेलवे (निर्माण) के "कठिन परियोजना" के रूप में चिह्नित परियोजना में तैनात अधिकारियों को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार हवाई यात्रा सुविधा के रूप में प्रोत्साहन दिया जाए:

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे (निर्माण)	यूएसबीआरएल
यदि कर्मचारी पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के "कठिन परियोजना" के रूप में चिह्नित परियोजना में तैनात हो तो उसके छुट्टी (आकस्मिक छुट्टी सहित सभी प्रकार की छुट्टियों) पर जाने पर उसे परिवार सहित (पास नियमों के अनुसार) उसकी तैनाती के स्थान के निकटतम हवाई अड्डे से उसके गृह नगर/परिवार के ठहरने के स्थान तक नि:शुल्क जाने और वापस आने के लिए वर्ष में दो बार हवाई यात्रा करने की अनुमति होगी जिसमें पहले से उपलब्ध एक यात्रा भी शामिल है। यह सुविधा प्रत्येक बार एक सेट सुविधा पास के बदले दी जाएगी।	कर्मचारी के छुट्टी (आकस्मिक छुट्टी सहित सभी प्रकार की छुट्टियों) पर जाने पर जम्मू/श्रीनगर के निकटतम हवाई अड्डे से कर्मचारी के गृह नगर/परिवार के ठहरने के स्थान तक वर्ष में दो बार नि:शुल्क जाने और वापस आने की अनुमति होगी। यह सुविधा प्रत्येक बार एक सेट सुविधा पास के बदले दी जाएगी।

3. उपर्युक्त प्रोत्साहन परियोजना निर्माण चरण तक सीमित होगी और यह मालीगांव, गुवाहाटी में तैनात अधिकारियों को छोड़कर इन परियोजनाओं से संबंधित सभी अधिकारियों के लिए लागू होगा।

4. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

डी. जोसफ
(डी. जोसफ)
उप निदेशक स्था. (सा.)
रेलवे बोर्ड